भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4108

18.08.2025 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय

4108. कुमारी सैलजाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई संयुक्त पहल अथवा तंत्र कार्यान्वित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेवार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु की गुणवत्ता के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लागू किया है। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अन्य बातों के साथ-साथ वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए उपाय करने का अधिकार दिया गया है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने, किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में परिवर्तन करने, नया वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने, ईंधन और उपकरणों को मंजूरी देने तथा वायु प्रदूषण पैदा करने वाली सामग्री को जलाने पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिदेश प्रदान किए गए हैं:

- वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना

- केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से और केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित वायु की गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक संयंत्रों और ऑटोमोबाइल से वायुमंडल में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए या जलयान या विमान के अलावा किसी अन्य स्रोत से वायुमंडल में किसी भी वायु प्रदूषक के निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करना
- वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल या शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के आयोजन में केंद्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित जन-शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

केंद्रीय बोर्ड को राज्यों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने, उनके बीच विवादों को सुलझाने, राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने, वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान करने तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन करने का कार्य सौंपा गया है।

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण निधि के अंतर्गत जुर्माने के रूप में एकत्रित राशि का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आवंटित करेगी।

इसके अलावा, केंद्र सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों को लागू करने के लिए सीपीसीबी को निर्देश जारी करती है। सीपीसीबी, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों को लागू करने के लिए संबंधित एसपीसीबी को निदेश जारी करता है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक" अधिसूचित किए हैं। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-V के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक वहां लागू होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं। सीपीसीबी ने उच्च प्रदूषण क्षमता वाले सभी 17 श्रेणियों के उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट शोधन सुविधाओं के उत्सर्जन और निर्वहन मानकों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निदेश दिया है। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी उक्त मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) सातवें संशोधन नियम, 2009 के अंतर्गत 12 वायु प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) अधिसूचित किए हैं, जिन्हें दिनांक 16.11.2009 के सा.का.नि. 826 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है। सीपीसीबी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से देश भर के 543 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा जनवरी, 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का उद्देश्य 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 मानकों को प्राप्त न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। यह एक बहु-क्षेत्रीय पहल है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। यह शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट शमन उपायों पर ज़ोर देता है।

एनसीएपी के अंतर्गत कार्यकलापों की निगरानी राष्ट्रीय (शीर्ष, संचालन, निगरानी एवं कार्यान्वयन), राज्य (संचालन एवं निगरानी) और शहर (कार्यान्वयन) स्तर पर समितियों द्वारा की जाती है। ये समितियाँ संबंधित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समन्वय, निगरानी, प्रगति का मूल्यांकन और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी 48 शहरों/शहरी समूहों के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), राज्य सरकारों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत अभिज्ञात शेष 82 मानकों को प्राप्त न करने वाले शहरों (एनएसी) के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग): सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी और एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत प्रासंगिक कार्यों सहित जागरूकता कार्यक्रम चलाने का अधिदेश दिया गया है। इन एजेंसियों को युवाओं और स्कूलों व कॉलेजों के छात्रों को शामिल करने के लिए 'माई भारत' पोर्टल के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत, नगर निगमों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/राज्य पर्यावरण विभागों ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर 34,000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

*****